



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-12.09.2025

जनपद शामली थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 11 मोटरसाइकिल व 02 मोटर साइकिलो की नम्बर प्लेट बरामद-

ज्ञात हो कि थाना कैराना पर विभिन्न तिथियों में मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत कराये गये थे। चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह द्वारा प्रभारी निरीक्षक कैराना को निर्देशित किया गया था। थाना कैराना पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

इसी क्रम दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चौकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 02 अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोरो को चोरी की 11 मोटरसाइकिल व चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:- थाना कैराना पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान अभियुक्त जुनैद उर्फ कालू व आदित्य उर्फ सौरभ को भूरा मार्ग रजवाहा पटरी से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगण से विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्तगण की निशांदाही पर भूरा मार्ग पर बंद पड़ी पटाखा फैक्ट्री से 10 चोरी की मोटर साइकिल व चोरी की गयी 02 मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट बरामद की गयी है। अभियुक्तगण ने पूछताछ पर मोटर साइकिलो को दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, बागपत आदि से चोरी करना बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ एवं जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. जुनैद उर्फ कालू पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला आलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
2. आदित्य उर्फ सौरभ पुत्र सूरज निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHA10EJ89E08828 इंजन नम्बर HA10EA89E31220 रजिस्ट्रेशन नम्बर HR06R9326
2. मोटर साइकिल हीरो होण्डा एचएफ डीलक्स रंग काला सफेद नीली पट्टी बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHA11ERV9J15226 इंजन नम्बर HA11EDB9J19786 रजिस्ट्रेशन नं0 HR10S3291
- (3) मोटर साइकिल बजाज सीटी 100 रंग लाल बिना नम्बर चैसिस नम्बर MB2A18AY8JPG41021 इंजन नम्बर DUYPJG84236
- (4) मोटर साइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHAW126NHF02977 इंजन नम्बर रजिस्ट्रेशन नम्बर DL4SDM3979

- (5)मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला सफेद पट्टी बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHAW082KHJ13252 इंजन नम्बर HA10AGKHJ21501 रजिस्ट्रेशन नम्बर DL4SDB3697
- (6)मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला नीली लाल पट्टी बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHAW221RHB05858 इंजन नम्बर HR11E7RH820934 रजिस्ट्रेशन नं0 DL4SDS8974
- (7)मोटर साईकिल हीरो पैशन प्रो रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHA10AWDGD012 इंजन नम्बर HA10ENDGD03215
- (8)मोटर साईकिल हीरो गलैमर रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLJA06B.....8GE05989 इंजन नम्बर JA06EBAGE066128
- (9)मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHA10ASC9L8710 इंजन नम्बर HA10ELC907122
- (10)मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHA108MC.... इंजन नम्बर HA10EJCHG85213
- 11.मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर चैसिस नम्बर MBLHAW229PHCB2326 इंजन नम्बर HA11E7PHC72182
- 12.चोरी की गयी 02 मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट बरामद रजि0नं0 UP 19 J 0928 व रजिस्ट्रेशन नम्बर HR 06 BB 2534

आपराधिक इतिहास अभियुक्त आदित्य उर्फ सौरभ उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 573/2021 धारा 379/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 2.मु0अ0सं0 63/2023 धारा 379/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 3.मु0असं0 64/2023 धारा 379/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 4.मु0अ0सं0 117/2023 धारा 379/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 5.मु0अ0सं0 171/2023 धारा 414 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 6.मु0अ0सं0 631/2020 धारा 307/411 भादवि कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 7.मु0अ0सं0 632/2020 3/25 आयुध अधि0 कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 8.मु0अ0सं0 353/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस कोतवाली शामली जनपद शामली ।
9. मु0अ0सं0 555/2025 धारा 317(5) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली ।
- 10.मु0अ0सं0 449/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली ।
- 11.मु0अ0सं0 523/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली ।
- 12.मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 14265/2025 धारा 305(b) बीएनएस थाना राजौरी गार्डन दिल्ली ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जुनैद उर्फ कालू उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 391/2023 धारा 429 भादवि0 व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.मु0अ0सं0 555/25 धारा 317(5) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री समयपाल अत्री थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 श्री राहुल देशवाल थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3.है0का0 पोपिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

4. है0का0 यतेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामिल ।
5. है0का0 राहुल कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।
6. का0 मोनू कुमार थाना कैराना जनपद शामिल ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

नोट:- घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000/- रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है ।



एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में “ऑपरेशन सवेरा” अभियान के क्रम में 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 100 ग्राम स्मैक बरामद:-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान “ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर” चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह के प्रभावी नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना कैराना पुलिस द्वारा **01 मादक पदार्थ तस्कर आवेश पुत्र इलाख निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 100 ग्राम स्मैक** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 559/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त आवेश उपरोक्त के मादक पदार्थों तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त:-

- आवेश पुत्र इलाख निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 100 ग्राम स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 ललित शर्मा थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

- का0 990 रोहित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली ।
- का0 1156 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली ।
- का0 382 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली ।
- का0 57 राममूर्ती तेजा एसओजी टीम जनपद शामली ।
- का0 भानू थाना कैराना जनपद शामली ।
- का0 अरुण कुमार थाना कैराना जनपद शामली ।

पुलिस की अपील

शामली पुलिस जनपद के सभी नागरिकों से अपील करती है कि इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें। **“नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर”** बढ़ते हुए हम सब मिलकर जनपद शामली को नशामुक्त बनाने का संकल्प लें ।



SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामद:-

दिनांक 11.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नीटू पुत्र नानू निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.नीटू पुत्र नानू निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।



महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील इशारे करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा चैकिंग/गश्त करते समय सार्वजनिक स्थान पर अश्लील इशारे करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में महिला थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.आकाश राठी उर्फ गुंटा पुत्र श्री रामवीर राठी निवासी गली नं0 10 रेलपार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।



थाना कैराना/कांधला/बाबरी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/कांधला/बाबरी पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.कप्पन उर्फ कुर्बान पुत्र स्व0 अख्तर निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.इकबाल पुत्र रुकमदीन निवासी खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.शहजाद पुत्र लियाकत निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.सचिन उर्फ रिंकू पुत्र जयपाल उर्फ जापान निवासी ग्राम किवाना थाना कांधला जनपद शामली।
- 5.जमील पुत्र अली मौहम्मद निवासी मौहल्ला जवाहर नगर कस्बा ऐलम थाना कांधला जनपद शामली।
- 6.कल्लू पुत्र जमील निवासी मौहल्ला जवाहर नगर कस्बा ऐलम थाना कांधला जनपद शामली।
- 5.शिवकुमार पुत्र विनोद निवासी ग्राम हिरनवाड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 02 मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 1,300/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

1.वर्ष 2006 में अभियुक्त दिनेश पुत्र पीतम निवासी ग्राम किवाना थाना काँधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना काँधला पर मु0अ0सं0 472/2006 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 12.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली से अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

2.-वर्ष 2007 में अभियुक्त मामचन्द उर्फ मामू पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम हिरनवाड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 169/2007 धारा 3/4 जुआँ अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 12.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजे(जेडी)-07 मुजफ्फरनगर से अभियुक्त उपरोक्त को 3,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI